

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाइ जिला टोक

(हरिताम कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाइ द्वारा अध्यासित)
दावा संख्या :-11/2012
निर्णय दिनांक:-26.02.18

1. रामकिशोर पुत्र हरिनारायण माली निवासी गुन्सी तहसील निवाइ

- वादीगण

उनवान

बनाम

1. श्री रामजीलाल पुत्र हरिनारायण माली निवासी गुन्सी निवाइ तहसील
2. बाबूलाल पुत्र हरिनारायण माली निवासी गुन्सी निवाइ तहसील
3. राकेश पुत्र रामनिवास जरिये संरक्षक माता प्रहलादी माली निवासी गुन्सी निवाइ तहसील
4. उगन्ती पुत्री रामनिवास माली निवासी गुन्सी निवाइ तहसील
5. प्रहलादी बेवा रामनिवास माली निवासी गुन्सी निवाइ तहसील
6. सूरजभान पुत्र जगदीश माली निवासी गुन्सी निवाइ तहसील
7. गोरधन पुत्र जगदीश माली निवासी गुन्सी निवाइ तहसील
8. पार्वती बेवा जगदीश माली निवासी गुन्सी निवाइ तहसील
9. हनुमान पुत्र शंकर माली निवासी फूटी बावडी निवाइ जिला टोक
10. नोरती पुत्री शंकर माली निवासी फूटी बावडी निवाइ जिला टोक
11. तहसीलदार निवाइ

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञापक आदेश

उपस्थित-श्री शंकर चौधरी, श्री कौशल किशोर चौधरी वकील वादी
श्री रविकुमार जैन वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 2
श्री गिरधर सिंह तंवर वकील प्रतिवादी सं. 3 ता 8

निर्णय

तहसीलदार निवाइ से प्राप्त कूर्रजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट में ग्राम गुन्सी के खाता संख्या 156/2, 164/2, 552/2, 560/2, 766/2, 979/2, 1009/2, 1024/2, 1028/2, 1158/2, 1169/2, 1216/2 का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. राकेश पुत्र रामनिवास, उगन्ती पुत्री रामनिवास, प्रहलादी पत्नी रामनिवास हि. 1/4
सुरजभान पुत्र जगदीश, गोरधन पुत्र जगदीश, पार्वती पत्नी जगदीश हि. 3/4 माली सा.
देह

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
गुन्सी	552/2	0-06
गुन्सी	560/2	1-03
गुन्सी	766/3	1-19
गुन्सी	979/2	0-19
गुन्सी	1009/2	0-04
गुन्सी	1028/2	1-00
गुन्सी	1216/2	0-07
कुल किता-7	कुल रकबा-	5-18

31
उपखण्ड अधिकारी
निवाइ, जिला टोक

2. रामकिशोर पुत्र हरिनारायण हि. 5/7 हनुमान नोरती माता सीता पुत्री हरिनारायण हि. 2/7 कौम माली सा. देह

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
गुन्सी	766 / 2	1-19
गुन्सी	1024 / 2	0-10
कुल किता-2	कुल रकबा-	2-09

3. रामजीलाल पुत्र हरिनारायण माली सा. देह

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
गुन्सी	156 / 2	1-12
गुन्सी	1169 / 3	0-03
कुल किता-2	कुल रकबा-	1-15

4. बाबू पुत्र हरिनारायण कौम माली सा. देह

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
गुन्सी	156 / 3	0-09
गुन्सी	164 / 2	0-16
गुन्सी	1158	0-02
गुन्सी	1009 / 3	0-04
गुन्सी	1169 / 2	0-03
कुल किता-5	कुल रकबा-	1-14

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 26.02.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में दूनाया गया।

31/26/2/18
हरिताभ कुमार अदित्य
(अवर एस.डी.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी जिला टोंक
(डिक्री मुकदमा इब्दाई)
(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी)

उनवान
रामकिशोर बनाम रामजीलाल वगै.

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञापक आदेश

मुकदमा नम्बर :- 11/2012

तहसीलदार निवाड़ी से प्राप्त कूर्रजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट में ग्राम गुन्सी के खाता संख्या 156/2, 164/2, 552/2, 560/2, 766/2, 979/2, 1009/2, 1024/2, 1028/2, 1158/2, 1169/2, 1216/2 का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. राकेश पुत्र रामनिवास, उगन्ती पुत्री रामनिवास, प्रहलादी पत्नी रामनिवास हि. 1/4 सुरजभान पुत्र जगदीश, गोरधन पुत्र जगदीश, पार्वती पत्नी जगदीश हि. 3/4 माली सा. देह

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
गुन्सी	552/2	0-06
गुन्सी	560/2	1-03
गुन्सी	766/3	1-19
गुन्सी	979/2	0-19
गुन्सी	1009/2	0-04
गुन्सी	1028/2	1-00
गुन्सी	1216/2	0-07
कुल किता-7	कुल रकबा-	5-18

2. रामकिशोर पुत्र हरिनारायण हि. 5/7 हनुमान नोरती माता सीता पुत्री हरिनारायण हि. 2/7 कौम माली सा. देह

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
गुन्सी	766/2	1-19
गुन्सी	1024/2	0-10
कुल किता-2	कुल रकबा-	2-09

3. रामजीलाल पुत्र हरिनारायण माली सा. देह

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
गुन्सी	156/2	1-12
गुन्सी	1169/3	0-03
कुल किता-2	कुल रकबा-	1-15

31
उपखण्ड अधिकारी
निवाड़ी, जिला टोंक

4. बाबू पुत्र हरिनारायण कौम माली सा. देह

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
गुन्सी	156 / 3	0-09
गुन्सी	164 / 2	0-16
गुन्सी	1158	0-02
गुन्सी	1009 / 3	0-04
गुन्सी	1169 / 2	0-03
कुल किता-5	कुल रकबा-	1-14

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते हैं। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसबल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 02 सन्-2018 को जारी की गई।

31/20/18
उपरवृद्ध अधिकारी
निवाई बका टोंड